कार्यालय अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस।

पत्रांक 3343 / 48   दिनांक 17/8/15

सेवा में,

जिलापूर्ति अधिकारी,
हाथरस।

विषयः—मै0 एस्सार ऑयल लिमिटेड I—5 सेक्टर – 3 नोयडा के टैरीटरी सेल्स मैनेजर के द्वारा पीलीभीत भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग) के कि0मी0 220 चैनेज (219.810) मौजा हाथरस देहात पर खसरा नं0 154, एस0ए0, 176 हाथरस देहात तहसील व जनपद हाथरस पर न्यू रिटेल आउट लेट स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः— आपका पत्रांक 1355 / जि0पू0अ0—एन0ओ0सी0 / 2015 दिनांक 07.05.2015 एवं मुख्य अभियन्ता आ0क्षे0, लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 12510 / 110सी—आ0क्षे0 / 2015 दि0 11.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता आगरा क्षेत्र, आगरा लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 12510 / 110सी0 —आ0क्षे0 / 2015 दिनांक 11.08.15 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक आर0डब्लू0 / एन0एच0 / 33023—19 / 99—डी0ओ0III दि0 31.08.2000 एवं पत्रांक आर0डब्ल्यू0 / एन0एच0 33023—19 / 99—डी0ओ0 III दिनांक 25.09.2003 / 17.10.2003 में की गयी शर्तो के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र की संस्तुति की जाती है।

1. मैं एस्सार ऑयल लिमिटेड ए—5 सेक्टर—3 नोयडा के टैरेटरी मैनेजर के द्वारा खसरा सं0 154, एस0ए0, 176 हाथरस देहात तहसील व जनपद हाथरस में पीलीभीत भरतपुर राज्य मार्ग सं0 33 के कि0मी0 220 (चैनेज 219.810) पर सड़क के मध्य से बायीं ओर 10.67मी0 की दूरी के बाद स्थापित किया जायेगा।
   - i   प्रस्तावित निर्माण नगर पालिका सीमा के अन्दर है।
   - ii   प्रस्तावित स्थल ओपन एग्रीकल्चरल लैण्ड में नहीं है।
   - iii   मार्ग के मध्यबिन्दु से प्रथम रिटेल आउटलेट की दूरी – 19.67मी0 है।
   - iv   मार्ग के मध्य बिन्दु से द्वितीय रिटेल आउटलेट की दूरी 25.67मी0 है।
2. बफर स्ट्रिप के पास हैजेज की ऊँचाई 60मी0 से ऊपर न रखी जाय।
3. मै0 एस्सार ऑयल लिमिटेड – 5 सेक्टर द्वारा प्रस्तावित पेट्राल पम्प की स्थापना संलग्न एनेक्चर I, II, III में वर्णित समस्त शर्तो का पालन करते हुये स्थापित की जायेगी। उनके द्वारा यदि एनेक्चर I, II, III में वर्णित कोई भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो वह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
4. आवेदक को मार्ग के मध्य से 10.67 मीटर की दूरी के बाद 1.00मी0 चौड़ी नाली का निर्माण लो0नि0वि0, की सड़क की बाउन्ड्री पर करना होगा तथा विभागीय अनुबन्ध के बाद पेट्रोल पम्प के प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पर 1.00मी0 स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराना होगा पेट्रोल पम्प के पानी का उक्त नाले में प्रवाह / बहाव हेतु आवश्यक ओपनिंग / गली ग्रेटिंग का निर्माण कराना होगा जिससे पेट्रोल पम्प का पानी मार्ग की ओर न आ सके, पुलियां / नाली टोप लेवल मार्ग की पटरी के 3 प्रतिशत के ढाल में पटरी से नीचा रखा जायेगा। ताकि मार्ग पर किसी भी दशा में पानी एकत्रित न होने पाये। पेट्रोल पम्प के पानी की निकासी हेतु भी पम्प परिसर से पुलिया / नाली की ओर 2 प्रतिशत का ढाल इस प्रकार किया जायेगा ताकि पम्प परिसर का पानी पुलिया / नाली मे जा सके। ताकि मार्ग पर किसी भी दशा में पानी एकत्रित न रहने पाये।
5. नाली के निर्माण एवं पेट्रोल पम्प के निर्माण से हाथरस देहात पीलीभीत भरतपुर (राज्य मार्ग) मार्ग के यातायात में अवरोध नहीं होना चाहिये।

पेट्रोल पम्प का निर्माण इस प्रकार हो कि वर्षा का पानी बह कर मार्ग की ओर आकर मार्ग को क्षतिग्रस्त न करे। इसी प्रकार मार्ग से पेट्रोल पम्प की ओर ढाल देकर निर्माण किया जाये। ताकि पानी के रूकने से अवरोध न हो।

7. पीलीभीत भरतपुर राज्य मार्ग सं0 33 पर मलबा निर्माण सामग्री आदि एकत्रित करना अवैध होगा।
8. प्रस्तावित स्थल के 100मी0 दोनों ओर कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिये।
9. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई भी विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाणपत्र निरस्त समझा जायेगा।
10. मार्ग की मध्य रेखा से बाउन्ड्रीवॉल की दूरी नक्शे में 10.67मी0 दर्शायी गयी हे जिसे निर्माण के समय यथा संभव रोड साइड लैण्ड कन्ट्रौल एक्ट के 1945 के मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
11. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में लो0नि0वि0, का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
12. यदि ऑयल कम्पनी नक्शे में प्राविधान से अलग कोई भी निर्माण बिना अनुमति के करती है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
13. एनेक्चर III के बिन्दु 4/14 में वर्णित शर्त के अनुसार एक मुश्त एक लाख रूपये की धनराशि टी0डी0आर0 3528854 दिनांक 14.08.2015 के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, हाथरस के खाते में जमा कर दी है।
14. निर्माण कार्य में यू0पी0 रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के 1945 के मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
15. भविष्य में मार्ग के विस्तार की संभावना है यदि विभाग को चौड़ीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होगी तो ऑयल कम्पनी को विभागीय शर्तो पर भूमि छोड़नी होगी।
16. पेट्रोल पम्प के परिसर में पीने के लिये ठंडा पानी तथा स्वच्छ टॉयलेट की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
17. निर्गत अनुमति की एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाये।
18. लो0नि0वि0 के अतिरिक्त अन्य विभागों की अनापत्ति प्रमाणपत्र/अनुमति यदि आवश्यक हो तो कम्पनी/आवेदक द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेगी।
19. बफर स्ट्रिप की लम्बाई नक्शे में 12.00मी0 दर्शायी गयी है, जिसे निर्माण के समय कम करते हुये 5.00मी0 तक की जा सकती है जिससे दोनों तरफ एन्ट्रेस की चौड़ाई मानक के अनुसार कम से कम 7.50मी0 बनी रहे एवं बफर स्ट्रिप की चौडाई नक्शे में 1.00मी0 दर्शायी गयी है, जिसे निर्माण के समय 3.00मी0 रखा जाय।
20. उपरोक्त शर्तो का पालन न करने की दशा में प्रदत्त स्वीकृति स्वतः ही रद्द मानी जायेगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार प्रकरण दो प्रतियों में।

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0लो0नि0वि0, हाथरस।

पत्रांक /

दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा को उनके पत्रांक सं0 12510/110सी–आ0क्षे0/2015 दि0 11.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता (प्रा0) लो0नि0वि0, हाथरस को हाथरस को मानचित्र सहित मूल में प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0लो0नि0वि0, हाथरस।